भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1853

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी गरीबों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

†1853. श्री छोटेलालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शहरी आबादी का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और प्रवासी लोग अभी भी किफायती आवास की कमी, खराब शहरी अवसंरचना और पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त सुलभता से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चुनौतियों का समाधान करने, किफायती आवास को बढ़ावा देने, शहरी अवसंरचना में सुधार करने, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सुदृढ़ करने और शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के पुनर्विकास को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और विभिन्न शहरी परिवहन पहलों जैसी योजनाओं के अंतर्गत उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के संयोजन में, संविधान के अनुच्छेद 243ब के उपबंधो के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), पीएम पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), शहरी परिवहन (यूटी), आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। इन परियोजनाओं का चयन, डिज़ाइन,

अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियां जारी करती हैं।

पीएमएवाई-यू: 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवास और स्लम पुनर्वास से संबंधित योजनाएँ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, भारत सरकार स्लमवासियों सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। पात्र लाभार्थी उपलब्ध चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, स्लमवासी किसी भी घटक के तहत लाभ ले सकते हैं।

यह योजना मांग आधारित है और विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, 14.07.2025 तक, देश भर में इस मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 1.12 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 93.61 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौपें जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत समग्र भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ स्लमवासी लाभार्थियों के विशिष्ट विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	समग्र,पीएमएवाई(यू) योजना में	स्लमवासी लाभार्थी
1	स्वीकृत आवास	112.16 लाख	29.37 लाख
2	निर्माणाधीन*	112.74 लाख	28.36 लाख
3	ऐसे आवास जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है *	93.61 लाख	19.94 लाख
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	1.90 लाख करोड़	44,066 करोड़
5	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	1.70 लाख करोड़	35,758 करोड़

*इसमें पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू और 3.42 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा करना शामिल है।

अमृत: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया

गया था। इस मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्र और पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। अमृत पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 77,640 करोड़ रु. के अनुमोदित योजना आकार की तुलना में, उपर्युक्त क्षेत्रों में 83,483 करोड़ रुपये की 6,010 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं।

अमृत मिशन के अंतर्गत, राज्यों के साथ कन्वर्जेन्स में 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) प्रदान किए गए हैं; 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए आवासों सहित) प्रदान किए गए हैं; 21,753 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क और 73,519 किलोमीटर का जलापूर्ति नेटवर्क निर्मित किया गया है; 4,622 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन संयंत्र क्षमता (एसटीपी) और 4,933 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता (डब्ल्यूटीपी) विकसित की गई है; कुल 1,456 किलोमीटर लम्बी नालियां बनाई गयी है। 5,092 एकड़ हरित क्षेत्र, 430 किलोमीटर पैदल मार्ग/पथ और 43 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं।

अमृत 2.0, 01 अक्टूबर 2021 को परियोजनाओं के लिए कुल 66,750 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शुरू किया गया है। अमृत 2.0 का उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाना है। अमृत 2.0 का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,94,172.99 करोड़ रु. की कुल 8,873 परियोजनाएं अनुमोदित गई है। इन अनुमोदित परियोजनाओं में 407 लाख नए/ सर्विस्ड नल कनेक्शन, 159 लाख नए/ सर्विस्ड सीवर कनेक्शन, 11,271 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता और 6,964 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता शामिल हैं।

<u>एसबीएम-यू</u> : शहरी आबादी में स्वच्छता और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत कार्य 30.09.2021 तक चला। इस मिशन का दूसरा चरण (एसबीएम-यू 2.0) 1 अक्टूबर, 2021 को अगले पाँच वर्षों की अवधि अर्थात 01.10.2026 तक के लिए शुरू किया गया था। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 100% अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपयोग किए गए जल शोधन के माध्यम से 2026 तक कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) बनाने का प्रस्ताव है।

इस मिशन के दोनों चरणों के अंतर्गत, देश के शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की माँग को उन स्लम्स में सामुदायिक शौचालयों (सीटी) के निर्माण के माध्यम से पूरा किया गया है जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। अस्थायी रूप से शहरों में रहने वाली जनसंख्या के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसी

प्रकार, मिशन के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत शहरी नगरपालिका अपशिष्ट की समस्या का समाधान किया गया है। एसबीएम-यू 2.0 में, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट जल की समस्या के समाधान हेतु एक नया घटक, प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) जोड़ा गया है।

अब तक 58.99 लाख के लक्ष्य की तुलना में 63.78 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) इकाइयों का निर्माण किया गया है, साथ ही 5.07 लाख के लक्ष्य की तुलना में 6.36 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण 2014 के 16% से बढ़कर 79.95% हो गया है, अर्थात प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1,61,163 टन (टीपीडी) अपशिष्ट में से कुल 1,28,842 टीपीडी अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

एससीएम : स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) ने 100 शहरों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीन-फील्ड विकास के माध्यम से क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। एससीएम के तहत कोई भी परियोजना लाभार्थी-आधारित नहीं है और न ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से उन्मुख है। एससीएम के तहत शहरों को स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है, जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता, साफ़-सफाई (वाश), स्मार्ट गवर्नेंस, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त है और उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा अनुमोदित हैं। 11.07.2025 तक, एससीएम के तहत चयनित 100 शहरों में 1,64,695 करोड़ रु. की कुल 8,063 परियोजनाओं में से 1,53,977 करोड़ रु. की 7,636 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 95%) पूरी की जा चुकी हैं।

शहरी परिवहन : ' शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें मेट्रो परियोजना सहित शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योजना बनाने, शुरू करने और प्रस्ताव विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरों या शहरी समूहों में मेट्रो रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। भारत सरकार ने स्थायी मोबिलिटी प्राप्त करने के लिए मेट्रो रेल सहित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं की व्यवस्थित आयोजना के लिए मेट्रो रेल नीति, 2017 जारी की है। वर्तमान में, देश भर के 24 शहरों में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सहित लगभग 1,036 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है। सितंबर 2024 से आज तक, कुल 240 किलोमीटर कवर करने वाली 1.04 लाख करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा, अगस्त 2023 में भारत सरकार द्वारा पीएम-ई-बस सेवा योजना को अनुमोदन दे दिया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के

तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाना है।

*****